

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प. 3(212)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक:- 17 MAR 2016


आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प. 3(212)नविवि/3/2011 दिनांक 04.08.2014 से निर्माण अवधि में शिथिलता देते हुए दिनांक 31.03.2015 तक आवश्यक नियमन करने के निर्देश प्रदान किये गये थे, जो समाप्त हो चुकी है। राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्राधिकरण/न्यास/नगरीय निकाय स्तर पर पुनर्ग्रहण राशि वसूल कर भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है:-

- (1) राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14(ए) के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित अवधि में भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त/खारिज योग्य भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 30.06.2016 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।
- (2) राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6)(बी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात भवन निर्माण निर्धारित अवधि में नहीं होने पर भवन निर्माण अवधि को दिनांक 30.06.16 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।

पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा। उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय